न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 14/2024 बउनवानी राजेन्द्र सिंह तोमर बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला0कलेक्टर,स0मा0 (राजा भईया) एडवाकेट नि0 आई–26/1, गली नम्बर–10 ब्रहापुरी दिल्ली– 110053 **GCMS No-2024/49**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.5.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 9.2.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. एक शिकायत जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के नाम डाक द्वारा 13.9.2023 को भेजी थी उनकी डायरी संख्या 16754 दिनांक 18.9.2023/विजी./डीएम से मार्क होकर विजिलेंस विभाग को भेजी गयी थी। इस शिकायत पर आज तक की गयी समस्त कार्यवाही, दर्ज किये गये बयानों,अंतिम जॉच रिपोर्ट, एवं जॉच अधिकारी के नाम व पद की सूचना की प्रति। 2. शिकायत दिनांक 26.9.2023 को भी बाई हेंण्ड जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की डायरी संख्या 17143 दिनांक 26.9.2023 को दर्ज है। उक्त शिकायत पर जिला कलेक्टर महोदय एवं अन्य अधिकारियों द्वारा आज तक की गयी समस्त कार्यवाहिया एवं अंतिम जॉच रिपोर्ट की सत्य प्रति देवे। जॉच अधिकारी का नाम व पद की भू सूचना देवे। 3. एक लीगल एवं डिमाण्ड नोटिस की प्रति सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु दिनांक 16.11.2023 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को डाक से भेजा था उनके कार्यालय में डाक रिकार्ड अनुसार 20.11.2023 को प्राप्त हो चुका है इस नोटिस पर जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी ने आज तक जो भी कार्यवाही की है उनकी सत्य प्रति देवे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःएफ.13(1)(12)सूकाअ/2024/455 दिनांक 30.04.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 9.2.2024 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना संबंधित अनुभाग यथा न्याय/विधि/सर्तकता अनुभाग से प्राप्त की जाकर कुल 8 पृष्ठों की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 292 दिनांक 20.3.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.2.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना, न्याय/विधि/सर्तकता अनुभाग से प्राप्त की जाकर **(प्रार्थना पत्र दिनांक 13.9.2023, 26.9.2023 एवं लीगल नोटिस दिनांक 16.11.2023 पर की गयी कार्यवाही की सूचना कुल 4 पृष्ठों की)** लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 292 दिनांक 20.3.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। किन्तु अपीलान्ट को भिजवायी गयी सूचना मे यह नही बताया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.9.2023 एवं 26.9.2023 के प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा एवं लीगल नोटिस दिनांक 16.11.2023 पर आयुक्त नगर परिषद द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है। अतः उ[illegible] की कार्यवाही की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक एवं आयुक्त नगर परिषद से ली [illegible] इस न्यायालय को भी भी प्रति भिजवावे। उक्त विवेचन के [illegible] किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की [illegible] सुनायी गयी। (डॉ0खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:08:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner